संख्या : पीसीएच-एचबी (1)09/2002-त.स. शिमला-IV- 56713-805
हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

****

सेवा में,

1. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिला परिषद)-एवं-अतिरिक्त उपायुक्त तथा अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
2. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत समिति)-एवं-खण्ड विकास अधिकारी हिमाचल प्रदेश।

शिमला-9, दिनांक 05 जुलाई 2021.

विषय:- प्रदेश की पंचायत समितियों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी तकनीकी सहायकों को दिनांक 01/04/2021 से संशोधित दैनिक दरों पर देय मासिक वेतन की अदायगी करने बारे।

महोदय,

वित्त विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या: फ़िन-(पीआर)-बी(7)33/2010 दिनांक 16 अप्रैल 2021 के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की दैनिक दरों में दिनांक 01/04/2021 से बढ़ौतरी की गई है। जिसके दृष्टिगत प्रदेश की पंचायत समितियों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी तकनीकी सहायकों को जिन्हें कनिष्ठ ड्राफ़्समैन के समकक्ष माना गया है, को निम्न विवरण अनुसार दिनांक 01/04/2020 से संशोधित दैनिक दरों पर देय मासिक वेतन की अदायगी की जानी है :-

- गैर-जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत तकनीकी सहायकों को मुबलिक 433/- रुपये प्रतिदिन की दर से तथा
- जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी तकनीकी सहायकों को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या: फ़िन-(पीआर)-बी(7)1/95-2, दिनांक 17/04/1998 के अनुसार दैनिक दर में 25 प्रतिशत की वृद्धि करने उपरान्त उन्हें देय मासिक वेतन की अदायगी की जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपनी पंचायत समितियों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी तकनीकी सहायकों को दिनांक 01/04/2021 से उक्त अनुसार देय वेतन की अदायगी करने की कृपा करें।

भवदीय

(केवल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-9.
दूरभाष संख्या: 2623805 (e-mail ID jointdirectorprhp@gmail.com))

पृ0सं0:- उपरोक्त- 56806-819 शिमला-171009 दिनांक 05 जुलाई 2021.
प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. समस्त सचिव (जिला परिषद)-एवं-जिला पंचायत अधिकारी हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ।
2. अधीक्षक बजट, राज्य मुख्यावास, पंचायती राज निदेशालय शिमला-9 को सूचनार्थ।

अतिरिक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-9.
दूरभाष संख्या :2623805 (e-mail ID panchayatiraj-hp@ gov.in (